महिला एवं बाल विकास विभाग सागर (म.प्र.)

सूचना के अधिकार अधिनियम

1. एकीकृत बाल विकास सेवा

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत सागर जिले में कुल 16 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 2199 आंगनबाड़ी केन्द्रों व 334 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक बच्चों एवं गर्भवती ,शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार,स्कूल पूर्व शिक्षा,पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं जांच ,टीकाकरण ,संदर्भ सेवा से प्रतिमाह लाभांवित किया जाता है । एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत 6 सेवाऐ ऑगनबाडी के तहत् प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. पूरक पोषण आहार :–

6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं । सागर जिले के समस्त विकास खण्ड स्थित ऑगनबाडी केन्द्रो पर वर्तमान में 1371 महिला स्व सहायता समूहो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में एवं 28 स्वसहायत समूह/महिला मण्डल के माध्यम से शहरी परियोजनाओं में पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। उक्त पोषण आहार में 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी उर्जा होना आवश्यक है। कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को दुगुनी मात्रा में पोषण आहार दिया जाता है।

2. स्वास्थ्य जॉच :– स्वास्थ्य प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जॉच की जाती है। स्वास्थ्य जॉच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

3. संदर्भ सेवाएॅ :– स्वास्थ्य जॉच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड/ जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

4. टीकाकरण :– प्रति आंगनवाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह के कोई एक दिन टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है । टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों की स्वास्थ्य जॉच भी की जाती है।

5. पो0एवंस्वा. शिक्षाः–आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित भोजन के बारे में सलाह दी जाती है।

6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा :–

आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में ओर बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती हैं। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैस – जल, जंगल, जानवर, इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। बच्चों के खेलने हेतु प्रतिवर्ष आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्री स्कूल किट उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग के अनुसार जिले का विभागीय स्परूप निम्नानुसार है (क्षेत्रीय)

जिला कार्यक्रम अधिकारी

परियोजना अधिकारी

सहायक सॉख्कीय अधिकारी

पर्यवेक्षक

कार्यकर्ता

सहायिका

<u>कार्यालयीन</u>

<u>कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी</u>

<u>सागर जिले में कुल संचालित परियोजनाओं की संख्या :– 16</u>

<u>सागर जिले में कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या :– 2199</u>

<u>सागर जिले में कुल मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या :– 334</u>

सागर जिले में कुल 16 परियोजनाऐं संचालित हैं। जिला अंतर्गत स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है–

मार्च 2011 की स्थिति में

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	01	01	00
2	परियोजना अधिकारी	16	06	10
3	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	14	02	12
4	पर्यवेक्षक	88	90	00
5	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	2199	2186	13
6	आंगनवाड़ी सहायिका	2199	2192	07
7	उपकार्यकर्ता (मिनी आंगनवाड़ी)	334	334	00

कार्यालय सहायक –1, कार्यालय सहायक –2, कार्यालय सहायक–3, भृत्य चौकीदार

बाल विकास परियोजना कार्यालय

कार्यालय सहायक–1 , कार्यालय सहायक–3, भृत्य , चौकीदार

<u>कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है।</u>

एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) :–

एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत जिले में संचालित 16 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है।

आंगनबाड़ी केन्द्र		**मिनी आ0बा0 केन्द्र**		**दर्ज हितग्राही**			
स्वीकृत आ0बा0 केन्द्र	संचालित आ0बा0 केन्द्र	स्वीकृत आ0बा0 केन्द्र	संचालित आ0बा0 केन्द्र	बच्चे	गर्भवती माताऐं	शिशुवती माताऐं	किशोरी बालिकाऐं
2199	**2199**	**334**	**334**	**254522**	**23828**	**27561**	**151419**

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती शिशुवती व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का वितरण कराया जाता है। 6 माह 3 वर्ष तक व गर्भवती शिशुवती/किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन के तहत् रेडी टू ईट फूड के तहत् साप्ताहिक पोषण आहार वितरण किया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नियमित आंगनवाड़ी केन्द्र में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत् कार्यरत स्वसहायता समूहों के माध्यम से नाश्ता एवं भोजन का वितरण किया जाता है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना –

लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत पात्र हितग्राही का आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार कराकर परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। परियोजना कार्यालय से स्वीकृत हितग्राहियों की सूची जिला कार्यालय को प्राप्त होते ही कलेक्टर महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राशि आहरण की जाकर ड्राफ्ट के माध्यम से पोस्ट आफिस को दी जाती है। पोस्ट आफिस ड्राफ्ट का क्लियरेशन कराकर संबंधित उप डाक घर को राशि जारी करता है। उसके पश्चात् प्रत्येक बालिका को 6000/– रूपये की एन.एस.सी. तैयार कर संबंधित हितग्राही को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सीधे अथवा माननीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण कराई जाती हैं। प्रत्येक हितग्राही को उक्त योजना से लगातार पांच वर्ष तक छः – छः हजार रूपये की एन.एस.सी. प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार योजनांतर्गत एक हितग्राही को 30,000/– की एन.एस.सी. प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2010–11 का लक्ष्य	उपलब्धि					
	लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत प्रकरण	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	अल्संख्यक	सामान्य
10029	11142	2108	1534	4148	303	3049
प्रतिशत	111%					

सबला –

सबला योजना के उद्देश्य :–

- 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- किशोर अवस्था, मानसिक एवं भावनात्मक एवं मनौवैज्ञानिक विकास हेतु सजग बनाना।
- घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यवसायिक कौशलों का उन्नयन करके उनका सशक्तिकरण करना।
- बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साफ सफाई और मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के विषय में मार्ग दर्शन प्रदान किया जाना।
- स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना।

सबला (राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना) योजनांतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। जिसमें 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी व 15 से 18 वर्ष की समस्त बालिकाओं को पोषण आहार वितरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सबला योजनांतर्गत शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं के सखी–सहेली ग्रुप गठित किये जाकर सागर जिले में संचालित 16 परियोजनाओं में प्रशिक्षण हेतु 7 अशासकीय संस्थाओं का चयन कर संचालनालय को जानकारी भेज दी गई है। संचालनालय से स्वीकृति उपरांत निपसेड के माध्यम से अशासकीय संस्थाओं के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जावेगा। जिसके उपरांत योजना का विधिवत् संचालन किया जावेगा।

अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

<u>मिशन के उद्देश्य</u>

- मिशन का उद्देश्य प्रदेश में कुपोषण कम करना, बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना तथा शिशु मत्यु दर में कमी लाना है। मिशन के उद्देश्य अनुसार लक्ष्य निम्नानुसार होगा।
- बाल मत्यु दर 94.2 से घटाकर 60 तक करना।
- कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 2015 तक 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत तक करना एवं 2020 तक 20 प्रतिशत तक करना।
- बच्चों में गंभीर कुपोषण पहले पांच वर्ष में 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक करना एवं आगामी पांच वर्षो में नगण्य करना।

की गयी कार्यवाही

- ❖ शासन निर्देशानुसार जिले में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की समिति गठित कर उसका पंजीयन कराया गया। पंजीयन क्रमांक 06/09/01/07727/10 दिनांक 26.8.2010 प्राप्त हुआ है।
- ❖ निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार की गई।
- ❖ संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 22.01.2011 एवं पत्र क्रमांक 1130 दिनांक 22.01.2011 के निर्देशों के अनुसार सागर जिले में 38 प्रशिक्षण शिविर पंचायती राज के प्रतिनिधियों, 54 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्वसहायता समूहों के 2 सक्रीय सदस्यों एवं 66 शिविरों के माध्यम से सागर जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मिशन के तहत् उन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया।
- ❖ मिशन के तहत् सागर जिले में संचालित 16 परियोजनाओं में माह फरवरी एवं मार्च 2011 में 73 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 19028 बच्चों को लाभान्वित किया जाकर उनका निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवाईयों का वितरण कराया गया। उक्त 19028 बच्चों में बीमार बच्चों का भी उपचार कराया गया। साथ ही पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से 1005 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

उद्देश्य :–

गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0–6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए:

1. गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।

2. शिशु को जन्म के बाद यथाशीघ्र स्तनपान शुरू कराते हुए पहले छह महीने तक केवल स्तनपान कराने सहित शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार की पद्धतियों (आई. वाई.सी.एफ.) का अधिक से अधिक पालन करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना।

3. गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन राशि देकर अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद करना।

लक्षित हितग्राही :–

1. 19 वर्ष और इससे अधिक आयु की गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं उनके दो जीवित जन्मे शिशुओं के लिए।

- ➢ 19 वर्ष और इससे अधिक आयु क्यों ? भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानून सम्मत आयु 18 वर्ष है और इसीलिए बच्चे के जन्म हेतु आयु का मानदण्ड 19 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य सही आयु में विवाह करने और सही आयु में ही बच्चे को जन्म देने को प्रोत्साहित करना है।

➢ केवल पहले दो जीवित जन्मे बच्चों के लिए क्यों ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि बार–बार गर्भधारण से महिलाओं का स्वास्थ्य न बिगड़े और परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले।

2. सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र एवं राज्य सरकारों के) की कर्मचारियों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्हें सवेतन प्रसूति अवकाश लेने का हक है। ऐसे कर्मचारियों की पत्नियों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

3. आयु, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और रोजगार की स्थिति की जानकारी लाभार्थी देगी। यदि लाभार्थी का दावा गलत पाया गया तो उसे दी गई राशि की वसूली की जाएगी। राशि न लौटाने पर उसके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के समय लाभार्थी से अनिवार्य रूप से इस विषय में एक वचन–पत्र लिया जाएगा, जो कि अनुलग्नक च, भाग–।। (क) में दर्शाया गया है।

4. गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाऐं भी इस स्कीम के लाभ प्राप्त कर सकती हैं, यदि उन्हें सरकार से सवेतन प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा है।

लाभ :–

योजनांतर्गत गर्भवती माता को प्रथम दो प्रसव पर 3 किस्तों में 4000/– रूपये की राशि से लाभान्वित किया जाना है। प्रथम किस्त गर्भवस्था के 6 महिने पूरे हो जाने के पश्चात् 1500/– रूपये की राशि, द्वितीय किस्त प्रसव के तीन महिने बाद और तृतीय किस्त शिशु की आयु 6 माह पूर्ण होने के बाद दी जाना है।

ऊषा किरण योजना

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उषा किरण योजना लागू की गई है। योजना के तहत पीड़ित महिला को परामर्श एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान सागर जिले में अभी तक 16 प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।

अशासकीय संस्थाऐं

विभाग द्वारा महिलाओ के कल्याण हेतु कार्यरत 32 अशासकीय संस्थाऐ विभागीय मान्यता प्राप्त है। जिनमें से 05 स्वैछिक संस्थाऐ अनुदान प्राप्त कर रही है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इन संस्थाओ को विभिन्न गतिविधी (सिलाई, टाईपिंग, ब्यूर्टी पार्लर प्रशिक्षण केन्द्र) संचालन हेतु रूपये 4,78,900=00 अनुदान महिला कल्याणकारी योजनाओ के तहत् दिया गया । साथ ही अशासकीय संस्थाओ द्वारा विभागीय गतिविधियो में वित्तीय वर्ष 2010–11 में 623 महिलाओ को लाभान्विंत किया गया हैं।

जावाली योजना

जावाली योजना अंतर्गत सागर जिले में सत्यशोधन आश्रम ग्राम पथरिया में संचालित है जिसमें 117 बच्चे निवास कर अध्ययन कर रहे है। ये सभी बच्चे बेडिया जाति से है , अध्ययन हेतु पुस्तके , दवाईयॉ , भोजन आदि हेतु विभाग द्वारा इस स्वैच्छिक संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में संस्था को 20.07 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अनाथालय

इस जिला अंतर्गत दो अनाथाश्रम संचालित है। संस्था सागर महिला बाल विकास समिति द्वारा संचालित संजीवनी बाल आश्रम रजाखेडी में 97 बच्चो को लाभान्वित किया जा रहा है।

अशासकीय संस्था अन्तर्जतीय विवाह समाज्योत्थान समिति सदर सागर द्वारा संचालित कबीर मानव सेवा अनाथ आश्रम कुडारी ग्राव में संचालित किया जा रहा है। इस अनाथालय में वर्तमान में 21 बच्चे लाभान्वित किये जा रहे है।

योजनावार बजट आवंटन तथा उपयोग

सागर जिले को वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए प्राप्त बजट एवं उपयोग की जानकारी निम्नानुसार है।

क.	डी.डी.ओ. का नाम	योजना / मद	वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राप्त आबंटन	31 मार्च 2011 की स्थिति में व्यय राशि
1.	श्री संजयप्रताप सिंह,	**55–2236–6264 अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन**		
		51 अन्य प्रभार	10000	10000
		योग योजना (6264)	**10000**	**10000**
2		**55–2235–6442 अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.**		
		51 अन्य प्रभार	621375	561147
		योग योजना (6442)	**621375**	**561147**
3		**55, 64 –2236–9050 पूरक पोषण आहार कार्यक्रम**		
		34 सामग्री और पूर्तियां	58280000	53385291
		51 अन्य प्रभार	7261790	7261790
		64–2236–9050 पोषण आहार		

		34 सामग्री और पूर्तियां	52900000	44171455
		योग योजना (9050)	**118441790**	**104818536**

4		**55–2236–9050 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी**		
		12 मजदूरी	362000	359932
		योग योजना (9050)	**362000**	**359932**

5		**55–2235–9132 शासकीय झूलाघर.**		
		11 वेतन भत्ते आदि	445078	389204
		34 सामग्री और पूर्तियां	36000	0
		योग योजना (9132)	**481078**	**389204**

6		**55–2235–9041 महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय**		
		11 वेतन भत्ते आदि	1688991	910095
		22 कार्यालय व्यय	5000	4995
		योग योजना (9041)	**1693991**	**915090**

7		**55–2235–9130 एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण.**		
		11 वेतन भत्ते आदि	1628647	1025151
		12 मजदूरी	12750	10250
		21 यात्रा भत्ता	46500	27096
		22 कार्यालय व्यय	209000	185797
		योग योजना (9130)	**1896897**	**1248294**

8		**55–2235–9131 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आं0बा0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण**		
		24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण	1313750	1309484
		योग योजना (9131)	**1313750**	**1309484**

9		**55, 64 –2235–6847 अशासकीय संस्थाओं को विविध अनुदान**		
		55–2235–6847–42 अनुदान	192000	192000
		64–2235–6847–42 अनुदान	286900	286900
		योग योजना (6847)	**478900**	**478900**

10		**64–2235–5033 जावालि योजना**		

		42 सहायक अनुदान	2150000	2007092
		योग योजना (5033)	**2150000**	**2007092**
11		**55,64 – 2235–5067 लाड़ली लक्ष्मी योजना.**		
		55–2235–5067–42 अनुदान	60991678	60815190
		35 विज्ञापन एवं प्रचार	122005	0
		51 अन्य प्रभार	335602	213471
		64–2235–5067–42 अनुदान	39585419	35711420
		35 विज्ञापन एवं प्रचार	35157	0
		51 अन्य प्रभार	117881	81835
		योग योजना (5067)	**101187742**	**96821916**
12		**55–2235–6104 कम्प्यूटर कय**		
		51 अन्य प्रभार	400000	363449
		योग योजना (6104)	**400000**	**363449**
13		**41,55 एवं 64 –2235–9944 महिला जागृति शिविर.**		
		41 – 26 सेमीनार सम्मेलन	18750	17555
		55 – 26 सेमीनार सम्मेलन	253800	253800
		64 – 26 सेमीनार सम्मेलन	59004	54254
		योग योजना (9944)	**331554**	**325609**
14		**55–2235–6103 समेकित बाल संरक्षण योजना,**		
		22 कार्यालय व्यय	295000	230312
		35 विज्ञापन एवं प्रचार	40000	0
		योग योजना (6103)	**335000**	**230312**
15		**55–2235–3457 महिला कल्याण कोष के अंतर्गत योजनायें**		
		51 अन्य प्रभार	100000	98460
		योग योजना (3457)	**100000**	**98460**
16		**55, 64 –2235–5063 घरेलू हिंसा से महिलाओं को सरक्षण**		
		26 सेमीनार सम्मेलन	5000	4500
		42 सहायक अनुदान	215000	0
		51 अन्य प्रभार	5000	0

		योग योजना (5063)	**225000**	**4500**

17		**55, 64 –2210–5094 मंगल दिवस योजना.**		
		55– 42 सहायक अनुदान	3138750	2803200
		64– 51 अन्य प्रभार	1520250	1238400
		योग योजना (5094)	**4659000**	**4041600**

18		**55–2059–5508 महिला एवं बाल विकास विभाग के भवनों का रखरखाव**		
		33 मरम्मत आदि	440000	440000
		योग योजना (5508)	**440000**	**440000**

19		**55–2235–0658 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना**		
		11 वेतन भत्ते आदि	2346706	2012679
		12 मजदूरी	3350	3350
		21 यात्रा भत्ता	87731	85309
		22 कार्यालय व्यय	380254	300796
		31 विशिष्ट सेवाओं के लिए मानदेय	4430505	4113511
		34 सामग्री और पूर्तियां	5699781	5141947
		35 विज्ञापन एवं प्रचार	301412	301352
		51 अन्य प्रभार	814830	814551
		योग याजना (0658)	**14064569**	**12773495**

20		**55–2235–5643 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय**		
		31 मानदेय	2975882	2668968
		योग याजना (5643)	**2975882**	**2668968**

21		**55–2235–9248 किशोरी शक्ति योजना.**		
		24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण.	55000	27500
		योग योजना (9248)	**55000**	**27500**